

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
100/21	188 RTA	रुआडा	रुआडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
नाथूलाल	बनाम	शब्बीर भाई

वकील :- राजेश भागवत

आदेश पत्रक

वकील :- राजेश भागवत एडवो.

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

21/10/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.11.2021 को पेश हो।

(Signature)

2/11/21

अपने पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12.11.2021 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

12/01/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तालील सम्मन प्राप्त। मिनक प्रतिवादी उम 1.वा 8 की ओर से श्री राजेश भागवत एडवो. का वकालत नामा पेश हुआ जो शांति किया गया। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 01.12.22 को पेश हो।

8/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकालत परीकेंत उपस्थित। वकील प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ समझ-बुझ है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

(Signature)

पत्रावली पेश हुई। वकुलवार परीक्षा उपस्थित। वकील प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ है। समय-जारी है पूर्व में कई अंतिम अवसर दिये जा चुके हैं। न्यायपरिषद में एक और अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 31/01/23 को पेश हो।

03/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलवार परीक्षा उपस्थित। वकील प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ है। पूर्व में अंतिम अवसर दिया गया है। न्यायपरिषद में एक और अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 7/2/23 को पेश हो।

7/23

न्यायाधीश अधिकारी के ^{व्यक्तित्वपूर्ण} ~~अन्य कार्य में~~ व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 4/1/23 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

4/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलवार परीक्षा उपस्थित। वकील प्राथी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते प्रमाण दाखल विज्ञापन करने का पत्र पेश किया। वकील प्राथी प्रमाण को इसी स्टेज पर विज्ञापन चाहता है। आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रमाण में अभी बाकी इसी स्टेज पर डीप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कल होकर दायित्व दफ्तर हो।